न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2018 अपील

1. राजेश पुत्र दयाराम गुर्जर निवासी भैरूखेडा, संग्रामगढ तहसील बदनोर जिला भीलवाडा हाल निवासी हलेड रोड पन्ना लाल की होटल, भवानीनगर, भीलवाडा

–अपीलार्थी

बनाम

1. मेवा पुत्र दयराम गुर्जर निवासी भैरूखेडा , संग्रामगढ
2. भालू पुत्र दयाराम गुर्जर निवासी भैरूखेडा , संग्रामगढ
3. रंगू पुत्री दयाराम गुर्जर निवासी भैरूखेडा , संग्रामगढ
4. लाडू पुत्री दयाराम गुर्जर निवासी भैरूखेडा , संग्रामगढ
5. सायरी पुत्री दयाराम गुर्जर निवासी भैरूखेडा,संग्रामगढ
6. श्रीमती सरजू पत्नी दयाराम गुर्जर निवासी भैरूखेडा, संग्रामगढ
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बदनोर जिला भीलवाडा

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार, बदनोर बमामले नामान्तरकरण सं0 1064 निर्णय दिनांक 07.12.2013

उपस्थित –

1. श्री शोभागमल कुमावत अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विपक्षी सं. 01 से लगायत 06 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही
3. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडण्ट सं. 07 की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.06.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार बदनोर को बमामलें नामान्तरकरण सं. 1064 निर्णय दिनांक 07.12.2013 के खिलाफ दिनांक 26.12.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम संग्रामगढ पटवार हल्का संग्रामगढ तहसील बदनोर में आराजी नम्बर 371,372,373,374,376,377,379,381,382,383,384,385,386,38,388,389, 390,392,393,394,395,396,397,398,399,400,414,415,416,420,421,422,423,424,425,677, 678/1987 कुल किता 37 रकबा 68.37 हैक्ट. भूमि स्थित हैं। अपीलार्थी के पिता दयाराम गुर्जर का करीब 60 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया। उनकी मृत्यु उपरान्त विरासत से तहसीलदार बदनोर द्वारा जरिये इंतकाल नम्बर 1064 में वर्णित आराजियात का विरासत से नामान्तरकरण अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के भाई मेवा, भालू , बहिने रंगू , लाडू , सायरी व माता सरजू (प्रत्यर्थी सं. 01 लगायत 06) के नाम पर खोला गया, लेकिन सेहवन से अपीलार्थी का नाम राजेश गुर्जर के बजाय अम्बा लाल दर्ज कर दिया गया, जबकि अम्बालाल जो कि अपीलार्थी का बोलता नाम है व अपीलार्थी का नाम परिवार

अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

राशन कार्ड एवं भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि में राजेश गुर्जर पुत्र दयाराम गुर्जर है। उक्त नामान्तरकरण प्रशासन गांवों के संग अभियान में भरा गया। अपीलार्थी उस वक्त वहां पर मौजूद नही था। अपीलार्थी को सुना नही गया। अपीलार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजों मे नाम राजेश गुर्जर ही है,लेकिन अपीलार्थी का परिवार व गांव में बोलता नाम अम्बालाल होने से उक्त नामान्तरकरण में राजेश गुर्जर की जगह अम्बालाल अंकित हो गया, जिसे अपीलार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अपीलार्थी को उक्त गलत नाम इन्द्राज होने की जानकारी नही थी । दिनांक 04.12. 2016 को अपीलार्थी द्वारा पटवार हल्का पर जमाबंदी की नकल प्राप्त करने हेतु गया तो उक्त गलत नाम इन्द्राज होने की जानकारी हुयी। नकल दिनांक 20.12.2016 को प्राप्त हुयी जो जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि पेश हैं। देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाने व कानूनी उजर रफा करने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय तहसीलदार बदनोर द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 1064 दिनांक 07.12.2013 में वर्णित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में अम्बालाल गुर्जर पुत्र दयाराम गुर्जर के बजाय राजेश गुर्जर पुत्र दयाराम गुर्जर दुरूस्त कराया जाने व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम इन्द्राज कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 10.01.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गये एवं अपीलाधीन संबंधी रिकार्ड तलब किया गया। विपक्षी सं. 01 से लगायत 06 बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं ।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अपीलाण्ट अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी के पिता दयाराम गुर्जर का करीब 60 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया। उनकी मृत्यु उपरान्त विरासत से तहसीलदार बदनोर द्वारा जरिये इंतकाल नम्बर 1064 में वर्णित आराजियात का विरासत से नामान्तरकरण अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के भाई मेवा, भालू , बहिने रंगू , लाडू , सायरी व माता सरजू (प्रत्यर्थी सं. 01 लगायत 06) के नाम पर खोला गया, लेकिन सेहवन से अपीलार्थी का नाम राजेश गुर्जर के बजाय अम्बा लाल दर्ज कर दिया गया, जबकि अम्बालाल जो कि अपीलार्थी का बोलता नाम है व अपीलार्थी का नाम परिवार राशन कार्ड एवं भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि में राजेश गुर्जर पुत्र दयाराम गुर्जर है। उक्त नामान्तरकरण प्रशासन गांवों के संग अभियान में भरा गया। अपीलार्थी उस वक्त वहां पर मौजूद नही था। अपीलार्थी को सुना नही गया। अपीलार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजों मे नाम राजेश गुर्जर ही है,लेकिन अपीलार्थी का परिवार व गांव में बोलता नाम अम्बालाल होने से उक्त नामान्तरकरण में राजेश गुर्जर की जगह अम्बालाल अंकित हो गया, जिसे अपीलार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय तहसीलदार बदनोर द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 1064 दिनांक 07.12.2013 में वर्णित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में अम्बालाल गुर्जर पुत्र दयाराम गुर्जर के बजाय राजेश गुर्जर पुत्र दयाराम गुर्जर दुरूस्त कराया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा

अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तथ्यों का भलीभांति परीक्षण किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध ग्राम पंचायत संग्रामगढ के प्रमाण पत्र दिनांक 04.12.2016 अनुसार अम्बालाल गुर्जर पिता दयाराम गुर्जर निवासी भैरूखेडा को गांव में अम्बालाल उर्फ राजेश पिता दयाराम को दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, पेन कार्ड, गैस डायरी में अपीलार्थी के निवास का पता भवानीनगर हलेड रोड भीलवाडा है। अपीलार्थी के निवास पते ग्राम भैरूखेडा ग्राम पंचायत संग्रामगढ़ की ताईद पत्रावली में प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों से स्पष्ट नही होता हैं। ग्राम भैरूखेडा ग्राम पंचायत संग्रामगढ में अम्बालाल आत्मज दयाराम गुर्जर नाम का व्यक्ति जमाबंदी अनुसार है, लेकिन उक्त नाम का व्यक्ति ही अम्बालाल उर्फ राजेश आत्मज दयाराम गुर्जर होने की ताईद राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाना युक्तियुक्त है। अपीलार्थी के नाम व वल्दियत एवं पता के संबंध में दस्तावेजों एवं ग्रामवासियों की उपस्थित में मौका पर्चा तैयार करते हुये पुनः नामान्तरकरण कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसीलदार बदनोर को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बदनोर द्वारा नामान्तरकरण सं. 1064 दिनांक 07.12.2013 को निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार बदनोर को नामान्तरकरण सं. 1064 रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के नाम व वल्दियत एवं पता के संबंध में दस्तावेजों एवं ग्रामवासियों की उपस्थित में मौका पर्चा तैयार करते हुये गहन जांच की जाकर पुनः विधिनुकूल निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बदनोर को पालनार्थ भेजा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/06/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)